

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 700

दिनांक : 25-1-17

आदेश

मा0 मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2017 को प्रातः 11.00 बजे जिला कलेक्टर सभागार, डूंगरपुर में उदयपुर सम्भाग की न्यास/निकायों में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की जायेगी।

इस बैठक में न्यासों/निकायों के नियमित कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जावेगी :-

- 01- Sewerage Status
- 02- Strom Water Drainage
- 03- Smart Cities
- 04- स्वच्छ भारत मिशन (SBM)
- 05- एन.यु.एल.एम. (N.U.L.M.)
- 06- Heritage Conservation
- 07- Solid Waste Management
- 08- AMRUT
- 09- Conservation of Water Bodies
- 10- Any Other

बैठक में उदयपुर सम्भाग की निकायों के समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी तथा नगर विकास न्यास के अधिकारी समस्त सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे।

बैठक में जिला कलेक्टर, कोटा, परियोजना निदेशक आर.यू.आई.डी.पी., प्रमुख शासन सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, कार्यकारी निदेशक, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ., मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक, अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत), निदेशालय, नगर सुधार न्यास के सचिव उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इस बैठक का समन्वय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर द्वारा किया जावेगा।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.1(क)(44)का/आर.एम.एस./डी.एल.बी./15/ 701-735 दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलेक्टर, डूंगरपुर।
04. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
05. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
06. कार्यकारी निदेशक, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ., जयपुर।
07. मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, परियोजना निदेशक, अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) निदेशालय।
08. सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर/चित्तौड़गढ़।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं उक्त बैठक के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारियां एवं समन्वय किया जाना सुनिश्चित करें।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, उदयपुर सम्भाग की उक्त बैठक में उपस्थिति वांछनीय है।।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(एम0 पी0 श्रीणा)
अतिरिक्त निदेशक